न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः—17 / 14 ((RCMS No.2014 / 00056) 18 आयुध अधिनियम 1959)

गोपाल पुत्र दूल्हेराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम रहे तहसील बाड़ी जिला धौलपुर

.........अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक भरतपुर

...............रैस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर दिनांक 18.11.2013

उपस्थितिः—

1. श्री माधोसिंह मदेरणा वकील अपीलान्ट
2. सहायक लोक अभियोजक

निर्णय **दिनांक 30.08.2018**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह अपील आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर के निर्णय दिनांक 18.11.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि संबंधित तहसीलदारों की रिपोर्ट के अनुसार अनुज्ञापत्रधारियों ने राजकीय भूमियों पर अपने हथियार का दुरूपयोग कर अतिक्रमण करने के कारण जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर ने अपने आदेश क्रमांक 2869 दिनांक 18.11.2013 से 20 व्यक्तियों के आर्म्स लाईसेंस निरस्त करने के आदेश पारित किये। जिसमें अपीलान्ट का नाम क्रम सं0 14 पर अंकित है। उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

विद्वान वकील अपीलान्ट का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का कोई मौका नही दिया, न ही कोई नोटिस जारी किया गया है। अपीलान्ट को बिना सुने ही निर्णय पारित कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के बिना ही अपीलान्ट का पश्चातवर्ती कब्जा तथा हथियारों का दुरूपयोग माना है जबकि अपीलान्ट के विरूद्ध आज तक पुलिस थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज नही है। अपीलान्ट ने अपने हथियार का कभी भी दुरूपयोग नही किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने लोक शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से एवं शस्त्र के दुरूपयोग की संभावना

को नजर रखते हुऐ शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त किया है जबकि पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य नही है कि अपीलान्ट ने कभी हथियार का दुरूपयोग कर, लोक शान्ति को भंग करने के का प्रयास किया हो। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्पीकिंग आदेश की परिभाषा में नही आता है। अपीलान्ट ने किस सरकारी भूमि पर कब्जा किया है, अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अंकित भी नही किया है। अपीलान्ट को उक्त आदेश की जानकारी नही थी। अपीलान्ट अपने लाईसेनस के रिनुअल हेतु दिनांक 31.12.2013 को जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर के कार्यालय में उपस्थित हुआ था तो उसे उक्त आदेश की जानकारी हुई थी। अपीलान्ट ने जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर मियाद पेश की है तथा देरी को क्षमा करने के लिये धारा 5 कानून मियाद का प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

विद्वान सहायक लोक अभियोजक. का तर्क है कि राजकीय भूमि पर अतिक्रमण की रिपोर्ट संबधित तहसीलदारों से प्राप्त हुई थी। जिसमें अधिकतर अनुज्ञापत्रधारी पश्चातवर्ती अतिक्रमी हैं। उक्त आदेश में अपीलान्ट का नाम भी क्रम सं0 14 पर दर्ज है। अपीलान्ट ने हथियार का दुरूपयोग कर सरकारी भूमियों पर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने लोकशान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से एवं शस्त्र के दुरूपयोग होने की संभावना को ध्यान में रखते हुये आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17(3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.11.2013 को पारित किया है, जो सही है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपीलान्ट को बिना सुने पारित किया गया है। अपीलान्ट ने जानकारी की दिनांक से अपील पेश की है। अपीलान्ट ने मियाद को कन्डोन करने के लिये धारा 5 कानून मियाद का प्रार्थना पत्र मय सपथ पत्र पेश किया है। अतः लिबरल ब्यू लेते हुऐ अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा करते हुऐ अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय ने संबंधित तहसीलदारों की रिपोर्ट के आधार पर अनुज्ञापत्र धारियों द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने के कारण अपीलाधीन आदेश पारित किया है। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके अलावा अपीलान्ट ने किस राजकीय भूमि पर कब्जा किया है और उसका पश्चातवर्ती कब्जा किस दस्तावेज से साबित हो रहा है, ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही है। साक्ष्य के अभाव में यह कहना उचित नही है कि अपीलान्ट ने हथियार के बल पर राजकीय भूमि पर कब्जा किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही आदेश पारित किया गया, जो उचित नही है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्पीकिंग आदेश की परिभाषा में नही आता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त कर पुनः सुनवाई के लिये रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश क्रमांक 2869 दिनांक 18.11.2013 में अंकित क्रम सं0 14 अपीलान्ट गोपाल पुत्र दूल्हेराम, अनुज्ञापत्र संख्या 173/84, शस्त्र संख्या 12 बोर 15300/81 की हद तक निरस्त किया

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर पुनः निर्णय पारित करें। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 17.09.2018 को उपस्थित हों।

निर्णय आज दिनांक 30.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official